

मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण


विज्ञप्ति

प्राधिकरण मुख्यालय एवं संचालित क्षेत्रीय कार्यालय/परियोजना क्रियान्वयन इकाईयों हेतु निम्नानुसार रिक्त पदों हेतु अर्हताधारी अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं :-

1. मुख्य महाप्रबंधक – 08 पद (प्रतिनियुक्ति/सेवा-निवृत्ति उपरांत संविदा)
2. महाप्रबंधक – 16 पद (प्रतिनियुक्ति/सेवा-निवृत्ति उपरांत संविदा)
3. लेखाधिकारी – 18 पद (प्रतिनियुक्ति)

पूर्णतः भरे हुये आवेदन पत्र जमा करने की अन्तिम दिनांक 12/03/2025 है। इस सम्बन्ध में विस्तृत विज्ञप्ति विभागीय वेबसाईट mprda.org/default.html पर उपलब्ध है। प्राधिकरण द्वारा जारी की गई विज्ञप्ति को एवं चयन की समस्त प्रक्रिया को किसी भी समय बिना कोई कारण बताये निरस्त किया जा सकेगा।

विज्ञप्ति क्र. 2377 दिनांक 19/02/2025


19/2/2025-

मुख्य महाप्रबंधक (प्रशासन)
मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण, भोपाल

मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण

(म.प्र.शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधीन)

तृतीय तल, विकास भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल

पत्र क्र. 2377/वि-12/प्रशा./विज्ञापन 02-2025/2025

भोपाल दिनांक 19/02/2025

विज्ञापित

प्राधिकरण मुख्यालय एवं उसके क्षेत्रीय कार्यालयों हेतु मुख्य महाप्रबंधकों, महाप्रबंधकों एवं लेखाधिकारी के रिक्त पदों की प्रतिनियुक्ति/सेवा-निवृत्ति उपरांत संविदा आधार पर चयन हेतु अर्हताधारी अभ्यर्थियों से आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप में आमंत्रित किए जाते हैं:-

क्र	पदनाम	नियुक्ति का प्रकार	अधिकतम आयु सीमा	न्यूनतम अर्हताएं	अनुमानित पद संख्या	पद स्थापना
1	2	3	4	5	6	7
1	मुख्य महाप्रबंधक (सिविल)	प्रति नियुक्ति	केन्द्र/राज्य शासन/निगम, मण्डल में सेवानिवृत्ति आयु से एक वर्ष पूर्व (विज्ञापित जारी होने वाले वर्ष की 1 जनवरी से आयु की गणना की जावेगी।)	<p>1- सेवारत विभाग :- राज्य/केन्द्र शासन के विभागों/निगम/मण्डल में पदस्थ अभियंता।</p> <p>2- शैक्षणिक योग्यता:- AICTE/UGC से मान्यता प्राप्त संस्थान/यूनिवर्सिटी से सिविल इंजीनियरिंग में डिग्री।</p> <p>3- सेवा अनुभव :- प्रमुख अभियंता/मुख्य अभियंता के पद पर पदस्थ सेवाकाल में सड़क/पुल/वृहद स्ट्रक्चर निर्माण कार्य का अनुभव।</p> <p>अथवा</p> <p>अधीक्षण यंत्री के पद पर न्यूनतम 2 वर्ष से पदस्थ हो साथ ही अधीक्षण यंत्री/कार्यपालन यंत्री के पद पर रहते हुए 5 वर्ष का सड़क/पुल/वृहद स्ट्रक्चर निर्माण कार्य का फील्ड अनुभव हो।</p> <p>अथवा</p> <p>कार्यपालन यंत्री के पद पर न्यूनतम 5 वर्ष से पदस्थ अभियंता जिन्हें सड़क/पुल/वृहद स्ट्रक्चर निर्माण कार्य का 08 वर्ष का फील्ड अनुभव हो।</p>	08	क्षेत्रीय कार्यालय/मुख्यालय हेतु
		सेवा निवृत्ति उपरांत संविदा	63 वर्ष (विज्ञापित जारी होने वाले वर्ष की 1 जनवरी से आयु की गणना की जावेगी।)	<p>1- पूर्व सेवा :- राज्य/केन्द्र शासन के विभागों/निगम/मंडल से सेवानिवृत्त अभियंता।</p> <p>2- शैक्षणिक योग्यता :- AICTE/UGC से मान्यता प्राप्त संस्थान/यूनिवर्सिटी से सिविल इंजीनियरिंग में डिग्री।</p> <p>3. पूर्व सेवा अनुभव :- प्रमुख अभियंता/मुख्य अभियंता से सेवानिवृत्त अभियंता जिन्हें सड़क/पुल/वृहद स्ट्रक्चर निर्माण कार्य का अनुभव हो।</p> <p>अथवा</p> <p>अधीक्षण यंत्री के पद से सेवानिवृत्त अभियंता जो अधीक्षण यंत्री के पद पर न्यूनतम 2 वर्ष पदस्थ रहे हों साथ ही अधीक्षण यंत्री/कार्यपालन यंत्री के पद पर रहते हुए 5 वर्ष का सड़क/पुल/वृहद स्ट्रक्चर निर्माण कार्य का फील्ड अनुभव हो।</p> <p>अथवा</p> <p>कार्यपालन यंत्री के पद से सेवानिवृत्त अभियंता जो कार्यपालन यंत्री के पद पर न्यूनतम 5 वर्ष पदस्थ रहे हों एवं जिन्हें सड़क/पुल/वृहद स्ट्रक्चर निर्माण कार्य का 08 वर्ष का फील्ड अनुभव हो।</p>		

क्र	पदनाम	नियुक्ति का प्रकार	अधिकतम आयु सीमा	न्यूनतम अर्हताएं	अनुमानित पद संख्या	पद स्थापना
1	2	3	4	5	6	7
2	महाप्रबंधक (सिविल)	प्रति नियुक्ति (से.नि. संविदा)	61 वर्ष (विज्ञप्ति जारी होने की दिनांक से) 63 वर्ष (विज्ञप्ति जारी होने वाले वर्ष की 1 जनवरी से आयु की गणना की जावेगी।)	राज्य/केन्द्र शासन के विभागों/कार्य विभाग, म.प्र. राज्य विद्युत मंडल की उत्तरवर्ती कम्पनियों, केन्द्र एवं राज्य शासन के निगम, मण्डल व उपक्रम के अधीक्षण यंत्री/कार्यपालन यंत्री के मूल पद पर कार्यरत डिग्रीधारी सिविल इंजीनियर, अथवा ऐसे सिविल डिग्रीधारी सहायक यंत्री, जिन्हें 8 वर्षों का अनुभव सहायक यंत्री के रूप में हो, जिसमें से 7 वर्षों का फील्ड में कार्य करने का अनुभव हो। अथवा ऐसे सहायक यंत्री (सिविल डिग्रीधारी) जिन्हें मूल पद सहायक यंत्री के पद पर 6 वर्ष कार्यरत रहते हुये म. प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण में सहायक प्रबंधक के पद पर न्यूनतम 5 वर्ष फील्ड में कार्य करने का अनुभव हो। 1- विभाग :- राज्य/केन्द्र शासन/निगम/मंडल में से सेवानिवृत्त अभियंता। 2- शैक्षणिक योग्यता :- AICTE/ UGC से मान्यता प्राप्त संस्थान/ यूनिवर्सिटी से सिविल इंजीनियरिंग में डिग्री। 3- अनुभव :- अधीक्षण यंत्री के पद से सेवानिवृत्त अभियंता। अथवा कार्यपालन यंत्री के पद से सेवानिवृत्त अभियंता। अथवा सहायक यंत्री के पद से सेवानिवृत्त अभियंता जिन्हें 15 वर्षों का अनुभव सहायक यंत्री के पद पर रहते हुए हो, जिसमें से 10 वर्ष का सड़क/पुल/वृहद स्ट्रक्चर निर्माण कार्य का फील्ड का अनुभव हो। इसके अतिरिक्त इससे उच्च पद पर कार्यरत रहते हुये सेवानिवृत्त शासकीय सेवक जैसे-मुख्य अभियंता/प्रमुख अभियंता से सेवानिवृत्त होने पर आवेदन करने हेतु पात्र नहीं होंगे।	16	मुख्यालय एवं परियोजना क्रियान्वयन इकाईयों हेतु
3	लेखाधिकारी	प्रति नियुक्ति	केन्द्र सरकार/ संबंधित राज्य सरकारों/ निगम/ मण्डल में प्रभावशील सेवानिवृत्ति तिथि से कम से कम एक वर्ष पूर्व (विज्ञप्ति जारी होने वाले वर्ष की 1 जनवरी से आयु की गणना की जावेगी।)	1. विभाग- म.प्र. शासन वित्त विभाग, महालेखाकार, केन्द्र/राज्य शासन/निगम/मंडल/बोर्ड/प्राधिकरण/ सहकारी संस्था के लेखा /वित्त से संबंधित, प्रथम/द्वितीय श्रेणी के वरिष्ठ लेखाधिकारी/संभागीय लेखा अधिकारी अथवा म.प्र.शासन, वित्त विभाग के अधिनस्थ लेखा सेवा संवर्ग के सहायक लेखाधिकारी जिनकी न्यूनतम 5 वर्ष की सेवा पूर्ण हो चुकी हो।	18	परियोजना क्रियान्वयन इकाईयों हेतु

नोट:- उपरोक्त तालिका के कॉलम क्र. 2 के पदों की अर्हता हेतु गणना कॉलम 5 में अंकित पदनामों को पैतृक विभाग में धारित मूल पद दिनांक से की जावेगी।

चयन की शर्त :-

(अ) प्रतिनियुक्ति आधार पर चयन हेतु :-

1. उक्त समस्त पदों की पूर्ति हेतु प्राप्त आवेदनों में से योग्य/न्यूनतम योग्यताधारी पात्र अभ्यर्थियों का व्यक्तिगत साक्षात्कार इस हेतु गठित साक्षात्कार/चयन समिति द्वारा लिया जावेगा एवं साक्षात्कार के उपरांत उपयुक्त पाये जाने पर उनके मूल विभाग से विगत पांच वर्षों के गोपनीय प्रतिवेदन की ग्रेडिंग एवं विभागीय जांच इत्यादि की जानकारी प्राप्त की जावेगी। मूल विभाग से प्राप्त गोपनीय प्रतिवेदन की ग्रेडिंग कम से कम तीन वर्षों में 'क' एवं इससे उच्च तथा एक भी वर्ष में 'घ' न हो, के अनुरूप होना चाहिये।
2. अभ्यर्थियों के विरुद्ध कोई भी विभागीय जांच संस्थित न हो, लोकायुक्त/आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो में प्रकरण पंजीबद्ध न हो। विजिलेंस इन्क्वायरी एवं न्यायालय में आपराधिक प्रकरण में चालान प्रस्तुत नहीं होना चाहिए। यदि अभ्यर्थियों के विरुद्ध विभागीय जांच संस्थित होगी तथा/अथवा लोकायुक्त/आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो में प्रकरण पंजीबद्ध पाया जाता है तथा/अथवा विजिलेंस इन्क्वायरी, न्यायालय में चालान प्रस्तुत होने आदि की जानकारी प्राप्त होने पर उनका चयन निरस्त कर दिया जावेगा।
3. प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ अधिकारियों को मूल विभाग में प्राप्त हो रहा वेतनमान देय होगा अर्थात् अलग से वेतन निर्धारण नहीं किया जायेगा। इसके अतिरिक्त अन्य भत्ते जो कि मूल विभाग में प्राप्त हो रहे हैं परंतु म.प्र. शासन में लागू नहीं हैं, के संदर्भ में सामान्य प्रशासन विभाग के प्रतिनियुक्ति नियम इत्यादि लागू होंगे। प्रतिनियुक्ति अवधि हेतु भी म.प्र. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के नियम लागू होंगे।
4. प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ अधिकारियों पर म.प्र. सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 लागू होगा एवं अनुशासनात्मक कार्यवाही की स्थिति में म.प्र. शासन, के प्रचलित नियम/निर्देश लागू होंगे।
5. अर्हताएं एवं अनुभव इत्यादि के संबंध में वर्षों की गणना विज्ञापन में दर्शित अनुसार की जावेगी।

(ब) सेवा-निवृत्ति उपरांत संविदा आधार पर चयन हेतु :-


1. उक्त पदों की पूर्ति हेतु प्राप्त आवेदनों में योग्य/न्यूनतम योग्यताधारी अभ्यर्थियों को मुख्य कार्यपालन अधिकारी की अध्यक्षता में गठित चयन समिति द्वारा साक्षात्कार के उपरांत उपयुक्त पाये जाने पर उनके मूल विभाग से सेवाकाल के अंतिम पांच वर्षों के गोपनीय प्रतिवेदन की ग्रेडिंग एवं विभागीय जांच इत्यादि की जानकारी प्राप्त की जावेगी। मूल विभाग से प्राप्त गोपनीय प्रतिवेदन की ग्रेडिंग में कम से कम तीन वर्षों में क एवं इससे उच्च तथा एक भी वर्ष में घ न हो, के अनुरूप होना चाहिये।
2. अभ्यर्थियों के विरुद्ध कोई भी विभागीय जांच संस्थित ना हो लोकायुक्त/आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो में प्रकरण पंजीबद्ध ना हो विजिलेंस इन्क्वायरी एवं न्यायालय में आपराधिक प्रकरण में चालान प्रस्तुत नहीं होना चाहिए। यदि अभ्यर्थियों के विरुद्ध विभागीय जांच संस्थित होगी तथा/अथवा लोकायुक्त/आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो में प्रकरण पंजीबद्ध पाया जाता है तथा/अथवा विजिलेंस इन्क्वायरी, न्यायालय में चालान प्रस्तुत होने आदि की जानकारी प्राप्त होने पर उनका चयन निरस्त कर दिया जावेगा।
3. उपरोक्त चयन प्रक्रिया के अनुसार चयनित अधिकारी को संविदा आधार पर एक वर्ष के लिये सक्षम अधिकारी अर्थात् मुख्य कार्यपालन अधिकारी, म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा रु. 500/- के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर अनुबंध किया जाकर नियुक्ति दी जा सकेगी। नियुक्ति पूर्व अधिकृत चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रदत्त किये गये अच्छे स्वास्थ्य का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना होगा। इसके पश्चात आवश्यकता होने पर प्रतिवर्ष कार्य की समीक्षा उपरांत संविदा अधिकारी का कार्य संतोषजनक पाये जाने पर 65 वर्ष की आयु पूर्ण होने तक प्रतिवर्ष एक-एक वर्ष

- की सेवा वृद्धि निर्धारित प्रक्रिया अनुसार सक्षम अधिकारी/मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा दी जा सकेगी।
4. यात्रा भत्ते की पात्रता उसी प्रकार होगी जो कि सेवानिवृत्ति के तत्काल पूर्व थी।
 5. संविदा पर नियुक्त संविद अधिकारियों को आवश्यकतानुसार स्थानांतरित किया जा सकेगा।
 6. संविदा नियुक्ति के दौरान दोनों पक्षों में से किसी एक पक्ष द्वारा एक माह की पूर्व सूचना या उसके एवज में एक माह का पारिश्रमिक देकर संविदा नियुक्ति समाप्त की जा सकेगी।
 7. सेवानिवृत्ति उपरांत संविदा पर पदस्थ किये जाने वाले अधिकारी को सामान्य प्रशासन विभाग के नियमानुसार सेवानिवृत्ति के समय अंतिम मासिक वेतन में से पेंशन की राशि घटाकर शेष राशि संविदा पारिश्रमिक के रूप में प्रतिमाह देय होगी। जिन विभागों/निगमों/मंडलों आदि में म.प्र. शासन के नियमों के अनुरूप पेंशन का प्रावधान नहीं है, वहां अंतिम मासिक वेतन की 50 प्रतिशत राशि को पेंशन राशि माना जाकर देय पारिश्रमिक की गणना की जावेगी। (उक्त गणना सेवा-निवृत्ति के समय जारी अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र के आधार पर की जावेगी। अर्थात् सेवा-निवृत्ति के पश्चात् आगामी माहों में भूत-लक्ष्यीय प्रभाव से डी.ए. के प्रावधान लागू नहीं होंगे।)
 8. संविदा पर नियुक्त सभी अधिकारियों पर मध्य प्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 लागू होंगे। उक्त पद पर कार्य करते हुये यदि उनके विरुद्ध म.प्र. सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के विपरीत कार्य करने की सूचना प्राप्त होती है तो उन्हें सम्यक जांचोपरांत दोषी पाये जाने पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा तत्काल सेवा से पृथक किया जावेगा। प्राधिकरण को संविदा पर नियुक्त अधिकारियों के आचरण/कार्य से वित्तीय हानि होने की स्थिति में वसूली भू. राजस्व के बकाया के रूप में वसूली योग्य होगी तथा आवश्यकता होने पर अपराधिक प्रकरण भी दर्ज कराया जा सकेगा।
 9. प्राधिकरण द्वारा उपरोक्त पदों पर प्रतिनियुक्ति से भरे जाने हेतु प्रक्रिया भी सतत रूप से प्रचलित रहेगी। इस प्रक्रिया द्वारा प्राधिकरण को प्रतिनियुक्ति के आधार पर उपरोक्त पद हेतु उपयुक्त अभ्यर्थी प्राप्त होते हैं तो संविदा पर नियुक्त किए गए अधिकारी/कर्मचारी की सेवाएं समाप्त की जा सकेगी।
 10. आवेदन पत्र में वांछित सभी अभिलेखों की सत्यापित प्रति संलग्न किया जाना आवश्यक है।
 11. अर्हताएं एवं अनुभव इत्यादि के संबंध में वर्षों की गणना विज्ञापन में दर्शित अनुसार की जावेगी।
 12. विज्ञप्ति में प्रस्तावित पद संख्या अनुमानित हैं, भविष्य में सेवानिवृत्त/मूल विभाग वापसी इत्यादि अन्य कारणों से पदों की संख्या में परिवर्तन हो सकता है। उपलब्ध पद संख्या अनुसार अभ्यर्थियों को मैरिट के आधार पर चयन सूची में रखा जायेगा। चयन सूची की वैधता अवधि एक वर्ष होगी।
 13. संविद अधिकारी को प्रतिवर्ष निम्नानुसार अवकाश की पात्रता होगी -
 - i. आकस्मिक अवकाश - 13 दिवस
 - ii. एच्छिक अवकाश - 03 दिवस
 - iii. चिकित्सा अवकाश - 15 दिवस

(स) समस्त पदों (प्रतिनियुक्ति/से.नि.संविदा) के आवेदकों हेतु सामान्य निर्देश :-

1. आवेदन पत्र में वांछित सभी अभिलेखों की सत्यापित प्रति संलग्न किया जाना आवश्यक है एवं साक्षात्कार के समय मूल दस्तावेज सत्यापन हेतु प्रस्तुत किये जावे।
2. इच्छुक अभ्यर्थी प्रतिनियुक्ति हेतु निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र उचित माध्यम से प्रस्तुत करेंगे एवं आवेदन की एक अग्रिम प्रति कार्यालय :- मुख्य कार्यपालन अधिकारी, म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण, तृतीय तल, विकास भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल, म.प्र. के पते पर भेजेंगे। आवेदन जमा करने की अन्तिम तिथि 12/03/2025 सायं 5:30 बजे तक है। साक्षात्कार में उपयुक्त पाये गये अभ्यर्थियों की जानकारी विभागीय वेबसाईट पर दर्शित की जावेगी। आवेदन पत्र का प्रारूप एवं अन्य जानकारी विभागीय वेबसाईट mprrda.org/default.html पर उपलब्ध है। भर्ती से संबंधित अतिरिक्त जानकारी कार्यालयीन समय में दूरभाष क्र. 0755-4002632 पर संपर्क कर प्राप्त की जा सकेगी।

3. प्राधिकरण द्वारा जारी की गई विज्ञप्ति को एवं चयन की समस्त प्रक्रिया को किसी भी समय बिना कोई कारण बताये निरस्त किया जा सकेगा। चयन उपरांत प्रतिनियुक्ति पर पदस्थापना आवश्यकतानुसार की जावेगी।
4. उक्त विज्ञप्ति में निर्धारित प्रक्रिया अनुसार चयनित अभियंताओं/अधिकारियों की पदस्थापना होने के उपरांत पदस्थापना स्थल पर कार्यभार ग्रहण नहीं करने वाले अधिकारी अगले दो वर्ष प्राधिकरण में चयन हेतु अपात्र होंगे।


19/12/2021

मुख्य महाप्रबंधक (प्रशासन)
मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण, भोपाल

Advertisement No
2377
dated 19-02-2025

Application form for the post of
CGM

Application form
No
(for office use only)

Recent coloured
selfattested
P.P. size photo graph

1. Name of the post **Chief General Manager** (Please tick)
Deputation **Contract**
2. Name of applicant (in capital letters) :
(Name) (Surname)
3. Father's name :
(Name) (Surname)
4. Parent Department (With full Address) :
.....
.....
5. Permanent address :
.....PIN.....
6. Present address :
.....PIN.....
(Address proof : Enclosure 1)
7. Date of birth : .../.../... (In words)
(Attested true copy of marksheet of Higher Secondary School Certificate Examination /equivalent examination exhibiting date of birth : Enclosure 2)
8. Age as on 01/01/2025 : Years Months Days
9. Category (Please tick) : Unreserved/ OBC/ SC/ ST
(Self attested true copy of caste certificate in case of OBC/SC/ST candidate : Enclosure ...3)
10. Home district (Attach front page of Service book for proof) :
11. Educational qualification details : (from recognized university)
 - (1) Post Graduation : Degree Specialisation in
 - (2) Graduation : Degree Subject
 - (Degree shall be from university/Collage recognize by AICTE)
 - (3) Others (Diploma etc.) : Description
- 11A. Name of Collage from which the degree was obtained.....
- 11B. Name of University from which the degree was obtained

12. Service and experience details :

- (a) Parent Department:
- (b) Details of organization :
- (c) Present Post :
- (d) Address of the present office:
- (e) Designation at first posting :
- (f) Date of promotion from AE to EE (attach copy of promotion order).....
- (g) Date of Promotion form EE to SE (attach copy of promotion order).....
- (h) Date of Promotion form SE to CE (attach copy of promotion order).....
- (i) Date of sanction of 3rd time scale (attach copy of order).....
- (j) Name/post and full Address of office who will provide CR Grading and vigilance details will have to be asked for :
-
- Phone Number Email Address
- (k) Present pay :
- (As per present applicable pay rules)
- (e.g. pay in the pay band and grade pay in revised pay structure)
- (l) Post wise experience (date of Advertisement)

S.N.	Name of Post (starting from AE)	Total length of service caderwise (as per column 2) in years and months	Periodwise details (from dateto date.....)	Total field work experience Years Months ... Days.....	Road and Bridge work field experience Years Months .. Days.....	office work experience Years ... Months . Days.....
1	2	3	4	5	6	7
1	AE					
2	EE					
3	SE					
4	CE					
5						

* length of service as "in charge" if any should be added in the lower post only.

(m) Total length of service (date of Advertisement)

.....YearsMonths Days

(n) Total length of Service (As General Manager/equivalent in MPRRDA/MPRDC/NHAI) with original post Executive Engineer in parent department

.....YearsMonths Days.

Name of Post and organization	Place of Posting	Period

(o) Total length of Service in field (As General Manager/equivalent in MPRRDA/MPRDC/NHAI) with original post Executive Engineer in parent department.

.....YearsMonthsDays.

Name of Post and organization	Place of Posting in field	Period

13. PAN (if available) :
(Attested true copy: Enclosure . . .)

14. Cell phone no. :

15. Email ID :

(Signature of applicant)

Name of the applicant:

Declaration

I hereby declare that no criminal proceedings/Departmental enquiry of any nature is pending against me. I further declare that information supplied by me in the application form and its supplementary parts and enclosures annexed to it; are true to the best of my knowledge & belief. My selection to the post may be cancelled and any suitable action may be taken against me if information furnished in Application form is found false or incorrect at any point of time in future. I already informed to my parent department for permission.

Date :

Place :

Encl –

(Signature)

Name of the applicant: